निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 65/2015 रे.वाद

निर्णय दिनांक :– 11.11.2019

अनवान

1. एका पिता रूपा जाति रेगर निवासी चारडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

———वादी

बनाम

1. श्री चैना पिता दल्ला जाति रेगर निवासी चारडा
2. रूकमण पिता दल्ला जाति रेगर निवासी चारडा
3. भग्गा पिता दल्ला जाति रेगर निवासी चारडा
4. डाली बेवा दल्ला जाति रेगर निवासी चारडा
5. नारायण लाल पिता भानाराम जाति रेगर निवासी चारडा
6. रोशन लाल पिता भानाराम जाति रेगर निवासी चारडा
7. घीसुलाल पिता भानाराम जाति रेगर निवासी चारडा
8. बदामी बेवा भानाराम जाति रेगर निवासी चारडा
9. मूला राम पिता देवा राम जाति रेगर निवासी चारडा
10. गोदाराम पिता देवाराम जाति रेगर निवासी चारडा
11. हगामी बेवा देवाराम जाति रेगर निवासी चारडा
12. हरिराम पिता किशना जाति रेगर निवासी चारडा
13. गिरधारी पिता नाथु जी जाति रेगर निवासी चारडा
14. गहरी बाई बेवा नाथु जी जाति रेगर निवासी चारडा
15. हजारी पिता चेना जाति रेगर निवासी चारडा
16. लक्ष्मण लाल पिता लुम्बा जाति रेगर निवासी चारडा
17. भंवर लाल पिता लुम्बा जाति रेगर निवासी चारडा
18. सोहनी पिता लुम्बा जाति रेगर निवासी चारडा
19. दाखी बेवा लुम्बा जाति रेगर निवासी चारडा

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

20. मगनीराम पिता दुर्गा राम जाति रेगर निवासी चारडा

21. घीसा राम पिता दुर्गा जी जाति रेगर निवासी चारडा

22. गठु पिता दुर्गा जाति रेगर निवासी चारडा

23. हणगारी पिता दुर्गा जाति रेगर निवासी चारडा

24. सोनु पिता दुर्गा जाति रेगर निवासी चारडा

25. अणछी पिता दुर्गा जाति रेगर निवासी चारडा

26. आंसी बेवा दुर्गा जाति रेगर निवासी चारडा

27. प्रतापी बेवा मोहन जाति रेगर निवासी चारडा

28. रोशन पिता मोहन जाति रेगर निवासी चारडा

29. जम्मु पत्नि डाउ जाति रेगर निवासी चारडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब देवगढ

——प्रतिवादी

वाद खातेदारी घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील :– राजेश समदानी वकील वादी।

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम रघुनाथपुरा पंचायत हल्का स्वादडी तहसील देवगढ में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित है जिसके ख0सं0 06 आ0नं0 42 रकबा 1.06, आ0नं0 43 रकबा 0.11, आ0नं0 44 रकबा 0.04, आ0नं0 45 रकबा 0.17, आ0नं0 46 रकबा 0.01, आ0नं0 47 रकबा 2.03, आ0नं0 48 रकबा 1.12, आ0नं0 49 रकबा 1.12, आ0सं0 50 रकबा 1.10, आ0सं0 51 रकबा 1.09, आ0नं0 52 रकबा 3.03, आ0नं0 53 रकबा 0.04, आ0नं0 54 रकबा 0.11, आ0नं0 55 रकबा 0.14, आ0नं0 56 रकबा 0.18, आ0नं0 60 रकबा 0.15, आ0नं0 61 रकबा 0.07, आ0नं0 337/7 रकबा 2.09 कुल किता 18 कुल रकबा 20.16 है। उपर्युक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 से 29 की पूर्वाधिकारी दादा अमरा जी से विरासत से प्राप्त हुई है। यह सभी आराजियात पक्षकारान के दादा अमरा जी की मौरूसी भूमि है। पक्षकारान के दादा अमरा जी के जीवनकाल में ही वादी के पिता रूपा जी की मृत्यु हो गयी थी एवं अमरा जी जिसके नाम से यह समस्त भूमि थी की भी मृत्यु हो गयी। अमरा जी की मृत्यु के पष्चात विरासत के आधार पर जो नामान्तकरण सं0 2012–2015 में खोला गया जो अमरा जी के पुत्रो के नाम खोला गया ओर मुझ वादी के पिता रूपा जी को अमरा जी की मृत्यु के पूर्व ही फौत हो चुके का नामान्तरण जेष्ठ पुत्र होने के नाते दल्ला पिता रूपा जी के 6 संताने थी और विरासत के आधार पर रूपा जी के समस्त वारिसानो के नाम नामान्तरण खोलना चाहिये था परन्तु उसमें भारी विधिक भूल की गयी

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

जिससे रूपा जी के अन्य वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही हो पाया जबकी मौके पर सभी वारिसान अपने–अपने हिस्से पर काबिज कास्त है। नामान्तरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसेंडिग है। जिससे किसी के हक व अधिकार तय नही किये जा सकते है। रूपा जी के परिवार में सबसे बडा पुरूष सदस्य प्रतिवादी सं0 01 से 04 के पिता दल्ला होने एवं रूपा जी की मृत्यु के पष्चात् व अकेले ही कर्ता खानदारन होने से रूपा जी के हिस्से की उक्त आराजियात का नामान्तरण अकेले दल्ला के नाम खोल दिया गया। लेकिन मौके पर रूपा जी के सभी वारिसान काबिज होकर कृषि करते चले आ रहे है और संयुक्त ही उपयोग–उपभोग उनका रहा है। दल्ला पिता रूपाजी की मृत्यु के पष्चात प्रतिवादी सं0 01 से 04 के नाम नामान्तकरण खोल दिया एवं रूपा जी की मृत्यु के पष्चात वादी एवं प्रतिवादी इन कृषि आराजियात का उपयोग–उपभोग संयुक्त ही करते आये है। रूपा जी की मृत्यु के पष्चात विरासत से उक्त आराजियात का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0 01/04 के पिता के नाम अंकित हो गया और वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 से 04 के नाम पर अंकित चली आ रही है। जो गलत है प्रतिवादी सं0 01 से 04 का नाम विलोपित किया जाकर रूपा पिता अमरा जी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवष्यक है राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त कृषि आराजियात के 1/6 हिस्से का अंकन प्रतिवादी सं0 01 से 04 के नाम पर हो रखा है वह गलत है वास्तव में इन कृषि आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 से 04 एवं प्रतिवादी सं0 27, 28, 29 का हक अधिकार है। रूपा जी के पुत्र उदय राम एवं भूरा लाऔलाद फौत हो चुके है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 से 04 एवं प्रतिवादी सं0 27, 28, 29 के मध्यं आपसी भाईचारा एवं आपसी मधुर स्नेह होने से वादी को अपने जीवन काल में यह कभी अहसास नही हुआ कि वादग्रस्त आराजियात अकेले प्रतिवादी सं0 01 से 04 के नाम पर चली आ रही है। लेकिन अभी एक माह पूर्व वादी को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये विभिन्न बैंको द्वारा प्रेरित किया गया इस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकल निकलवायी तब पता चला की यह कृषि आराजियात अकेले प्रतिवादी सं0 01 से 04 के नाम पर ही अंकित है वादी ने सारी तहकीकात ओर पता लगाया कि वादी के दादा अमरा जी के पष्चात भूमि अकेले दल्ला एवं उसके पष्चात विरासत से उसके वारिसान के नाम पर खातेदारी में दर्ज कर दी गयी है उस पर वादी ने प्रतिवादी सं0 01 से 04 को इन्द्राज सही करवाने के लिये कहा लेकिन प्रतिवादी सं0 1 से 04 द्वारा टालमटोल किये जाने से वादी ने खातदेारी घोषणा का यह दावा पेष किया अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित आराजियात में प्रतिवादी सं0 01 से 04 का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर रूपा पिता अमरा के समस्त वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाकर खातेदार कास्तकार घोषित करावे एवं इसी आषय की डिक्री जारी फरमायी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वाद पत्र के सम्मन जारी किये गये प्रत्युत्तर में प्रतिवादीगण ने कोई जवाब पेष नही किया बल्कि सम्मन तामिल हो जाने पर भी अनुपस्थित रहे जिस पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी है। वकील वादी ने प्रकरण में बहस की विद्धवान वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की मौरूसी भूमि है मौके पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज हो कृषि कर रहे है। दल्ला पिता रूपा जी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सं0 01 से 04 के नाम नामान्तरण खोल दिया एवं रूपा जी की मृत्यु के पष्चात वादी एवं प्रतिवादी इन कृषि आराजियात का उपयोग–उपभोग संयुक्त रूप से करते आये है। रूपा जी मृत्यु के पष्चात विरासत से उक्त कृषि

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

आराजियात का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 से 04 के पिता के नाम पर अंकित हो गया और वर्तमान में प्रतिवादी सं0 01 से 04 के नाम पर चली आ रही जो गलत है प्रतिवादी सं0 01 से 04 के नाम विलोपित किये जाकर रूपा पिता अमरा जी के वारिसान के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना आवष्यक है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम रघुनाथपुरा तहसील देवगढ में स्थित भूमि खाता सं0 06 ख0नं0 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 337/7 कुल किता 18 रकबा 20.16 बीघा भूमि जो प्रतिवादी सं0 01 से 04 के नाम रेकार्ड में दर्ज है उसे विलोपित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 से 04 एवं प्रतिवादी सं0 27, 28, 29 को 1/6 हिस्से के खातेदार कास्तकार घोषित किये जावें एवं रूपा जी के हिस्से पर जो प्रतिवादी सं0 01 से 04 अकेले के नाम अंकित है उसे विलोपित कर रूपा जी के समस्त वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेष प्रदान करावें।

हमने वादी के वाद पत्र, नकल जमाबन्दी एवं वादी द्वारा पेष अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विद्धवान वकील वादी की बहस के तर्क सुने उपर्युक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि उपर्युक्त वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की मौरूसी जायदाद है। लेकिन गलती से प्रतिवादी सं0 01 से 04 के नाम दर्ज हो गयी जो गलत हुई है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का स्वादडी तहसील देवगढ में स्थित खाता नं0 06 ख0नं0 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 337/7 कुल किता 18 रकबा 20.16 बीघा भूमि जो प्रतिवादी सं0 01 से 04 के नाम रेकार्ड में दर्ज है उसे विलोपित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 से 04 एवं प्रतिवादी सं0 27, 28, 29 को 1/6 हिस्से के खातेदार कास्तकार घोषित किये जाते है। तथा राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेष किये जाते है पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे तद्नुसार डिक्री जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को निर्णय एवं डिक्री की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 23.05.2016 को लोक अदालत कोर्ट कैम्प स्वादडी में मझ में आम सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

राजस्थान–सरकार

डिग्री व मुकद्दमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द
निर्णय श्री शक्ति सिंह भाटी (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
प्र0सं0 65/2015 रे.वाद
निर्णय दिनांक :– 11.11.2019

अनवान

1. एका पिता रूपा जाति रेगर निवासी चारडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

——वादी

बनाम

1. श्री चैना पिता दल्ला जाति रेगर निवासी चारडा
2. रूकमण पिता दल्ला जाति रेगर निवासी चारडा
3. भग्गा पिता दल्ला जाति रेगर निवासी चारडा
4. डाली बेवा दल्ला जाति रेगर निवासी चारडा
5. नारायण लाल पिता भानाराम जाति रेगर निवासी चारडा
6. रोशन लाल पिता भानाराम जाति रेगर निवासी चारडा
7. घीसुलाल पिता भानाराम जाति रेगर निवासी चारडा
8. बदामी बेवा भानाराम जाति रेगर निवासी चारडा
9. मूला राम पिता देवा राम जाति रेगर निवासी चारडा
10. गोदाराम पिता देवाराम जाति रेगर निवासी चारडा
11. हगामी बेवा देवाराम जाति रेगर निवासी चारडा
12. हरिराम पिता किशना जाति रेगर निवासी चारडा
13. गिरधारी पिता नाथु जी जाति रेगर निवासी चारडा
14. गहरी बाई बेवा नाथु जी जाति रेगर निवासी चारडा
15. हजारी पिता चेना जाति रेगर निवासी चारडा
16. लक्ष्मण लाल पिता लुम्बा जाति रेगर निवासी चारडा
17. भंवर लाल पिता लुम्बा जाति रेगर निवासी चारडा
18. सोहनी पिता लुम्बा जाति रेगर निवासी चारडा
19. दाखी बेवा लुम्बा जाति रेगर निवासी चारडा
20. मगनीराम पिता दुर्गा राम जाति रेगर निवासी चारडा
21. घीसा राम पिता दुर्गा जी जाति रेगर निवासी चारडा
22. गठु पिता दुर्गा जाति रेगर निवासी चारडा
23. हणगारी पिता दुर्गा जाति रेगर निवासी चारडा
24. सोनु पिता दुर्गा जाति रेगर निवासी चारडा
25. अणछी पिता दुर्गा जाति रेगर निवासी चारडा

26. आंसी बेवा दुर्गा जाति रेगर निवासी चारडा

27. प्रतापी बेवा मोहन जाति रेगर निवासी चारडा

28. रोशन पिता मोहन जाति रेगर निवासी चारडा

29. जम्मु पत्नि डाउ जाति रेगर निवासी चारडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब देवगढ

———प्रतिवादी

वाद खातेदारी घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू.....
.....मिनजानिब मुद्दायलह पेश हो वादी का वाद पत्र इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि तथा ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का स्वादडी तहसील देवगढ में स्थित खाता नं0 06 ख0नं0 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 337/7 कुल किता 18 रकबा 20.16 बीघा भूमि जो प्रतिवादी सं0 01 से 04 के नाम रेकार्ड में दर्ज है उसे विलोपित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 से 04 एवं प्रतिवादी सं0 27, 28, 29 को 1/6 हिस्से के खातेदार कास्तकार घोषित किये जाते है। नीज.....मुबलिग.....बाबत्.....
.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शहर.....
फीसदी सालाना आज की तारि ख से तारीख वसूलयाबी तक.....का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 11 मास् 11 सन् 2019 की जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला राजसमन्द
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	2	00	स्टाम्प वकालातनामा	0	00
स्टाम्प वकालातनामा	1	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	महनताना वकील	0	00
महनताना वकील)पर	0	00	)पर	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफर्रिक	40	00	मुतफर्रिक	0	
मिजान	49	00	मिजान	00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिऐं।

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द